मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या ८२८/२०१९ (एम.ए.सी.पी.सं. ४३२/२०१७)

श्रीमती सुमन यादव यादव बनाम रहीश खाँ आदि

२६.१०.२०२०

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। ३बी प्रार्थनापत्र पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं. २ श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता को न्यायाधिकरण के वर्चुअल न्यायालय में सुना तथा प्रस्तुत पत्रावली एवं संबंधित एम.ए.सी.पी. सं. ४३२/२०१७ श्रीमती सुमन यादव बनाम रहीश खां आदि की पत्रावली का भी अवलोकन किया।

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थिया सुमन द्वारा अन्तर्गत आदेश ९ नियम ४ व धारा १५१ जाब्ता दीवानी एम.ए.सी.पी. सं.४३२/२०१७ श्रीमती सुमन यादव बनाम रहीश खां आदि में पारित आदेश दिनाँकित १६.१०.२०१९ को रिकॉल कर उक्त याचिका को अपने मूल नम्बर पर कायम किये जाने हेतु दिया गया है। समर्थन में प्रार्थिया ने स्वयं का शपथपत्र ४सी२ दिया है। विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से औपचारिक आपत्ति की गई है। प्रार्थिया ने प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थिया प्रस्तुत प्रकरण में नियत दिनाँक १६.१०.२०१९ को आवश्यक कार्य से बाहर गई थी तथा उसके अधिवक्ता अन्य मुकदमें में व्यस्त रहने के कारण पुकार पर उपस्थित नहीं हुये। अतः उक्त वाद याची व पिपक्षीगण की अनुपस्थिति में खारिज हो गया । मुकदम खारिज होने से वादिया को सख्त नुकसान व हकतलफी है। मुकदमा गुणदोष पर निर्णीत होना आवश्यक है। प्रार्थिया ने अपने कथनों का समर्थन ४सी२ शपथपत्र में किया है। प्रार्थनापत्र में वर्णित आधार पर्याप्त है। अतः न्याय हित में ३बी प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

३बी प्रार्थनापत्र न्याय हित में स्वीकार स्वीकार करते हुये एम.ए.सी.पी. सं. ४३२/२०१७ श्रीमती सुमन यादव बनाम रहीश खां आदि में पारित आदेश दिनाँकित १६.१०.२०१९ को रिकॉल किया जाता है। तदनुसार एम.ए.सी.पी. सं.४३२/२०१७ अपने मूल नम्बर पर पर पुनर्स्थापित हो। विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पुनर्स्थापन के पश्चात मूल याचिका वास्ते सुनवाई दिनाँक ०१.११.२०२० नियत करते शेष विपक्षीगण को नोटिस जारी हों।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.06 19:02:38 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI